न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर, जिला–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी : श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 09 / 2024

अपीलकर्तागण	बनाम	उतरदातागण
1. अमीर पुत्र बगता उम्र 50 वर्ष 2. अनवर पुत्र अलदा उम्र 45 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी मेकरनवाला तहसील रामसर, जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत कंटल का पार जरिये सरपंच 2. ईशाक उर्फ ईस्माईल पुत्र बगता उम्र 45 वर्ष 3. काला पुत्र सरदारा उर्फ सरादीन उम्र 45 वर्ष 4. बारम उर्फ वाहरम पुत्र हबीब उम्र 59 वर्ष 5. मिसरा पत्नी प्रहलाद उर्फ अलदा उम्र 65 वर्ष 6. हेदर पुत्र अलदा उम्र 42 वर्ष 7. नसीबा पत्नी हयात उम्र 45 वर्ष 8. बसरी पुत्री हयात उम्र 22 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी मेकरनवाला तहसील रामसर, जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

उपस्थित :–

1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता अपीलकर्ता
2. श्री महेन्द्र सिंह सोढ़ा अधिवक्ता उतरदाता संख्या 3 से 8
3. उतरदातागण संख्या 01 से 02 अनु.।

–:: आदेश ::–

दिनांक: 17.12.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलकर्तागण एंव उतरदातागण के कदीमी कब्जा काश्त खसरा नम्बर 108 मौजा पाबूसरिया ग्राम पंचायत कंटल का पार तहसील रामसर जिसमें सभी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हैं। अपीलकर्ता के खेत मौजा पाबूसरिया कंटल का पार व मेकरनवाला ग्राम पंचायत मेकरनवाला दोनों गांवों में आये हुए हैं। अपीलकर्ता के पिता जो मुतवफी मारूफ वल्द हाथी के औलाद थे। वक्त सेटलमेंट अपीलकर्ता के दादा मारूफ के नाम अपने अन्य भाईयों के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिनके वंशज शेष उतरदातागण हैं। मुतवफी मारूफ के चार पुत्र थे जो क्रमशः हबीब, सरादीन उर्फ सरदारा, बगता, अलदा उर्फ प्रहलाद थे परन्तु उतरदाता संख्या 4 बारम उर्फ वाहरम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा ने छल कपट पूर्वक धोखे से **सरदारा उर्फ सरादीन का पुत्र होते हुवे भी हबीब पुत्र मारूफ का पुत्र/वारीस बन कर** जमीन हड़पने के लिए छल कपट पूर्वक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 226 मौजा पाबूसरिया अपने नाम करवा लिया। हबीब की पत्नी सायबी थी अनपढ़ ग्रामीण महिला थी जो लाऔलाद फौत हुई। उपरोक्त नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलकर्ता को नहीं होने पर बारम उर्फ वारहम का लालच और बढ़ गया और उसने गांव मौजा मेकरनवाला की जमीन हड़पने के लिए भी हबीब की पत्नी सायबी की फौतग पर उसका फर्जी रूप से पुत्र बनकर अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच मेकरनवाला से साजिस कर सायबी के फौतगी पर उसका वंशज बन वाहरम उर्फ बारम पुत्र हबीब बन वारीस बन फौतगी का नामान्तरकरण 460 मेकरनवा[illegible] अपने नाम पारित करवा दिया जबकि हबीब वाहरम उर्फ बारम रिस्ते [illegible] वक्त बारम उर्फ वाहरम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा उतरदाता [illegible] फर्जी पुत्र हबीब उतरदाता संख्या 4 एक ही व्यक्ति हैं। वारहम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा ने फर्जी त[illegible] सायबी व हबीब का पुत्र उतरदाता संख्या 4 के रूप में बनक[illegible] नामान्तरकरण संख्या 226 17.05.1990 मौजा पाबूसरिया के अवैध रूप से पारित करा मु. सायबी पत्नी हबीब की सम्पूर्ण हिस्सा की खातेदारी भूमि अपने नाम करा ली। जबकि **वाहरम पुत्र सरादीन जो वाहरम खान उर्फ**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

हबीब (फर्जी पुत्र बना) एक ही आदमी है। उतरदाता संख्या 4 बारम ने अपीलकर्ता एवं ा संख्या 2 से 8 जो सभी मुतवफी मारूफ के जाईन्दा वंशज एवं उतराधिकारी हैं उन्हे हक से महरूम रखने के लिए छल, कपट, धोखे से जालसाजी कर फर्जी तरीके से हबीब पुत्र बना, जबकि हबीब लाऔलाद फौत हुवे क्योंकि उनकी पत्नी सायबी के कोई पुत्र नहीं था। बारम उर्फ वाहरम वास्तविक रूप से यह सरादीन उर्फ सरदारा का पुत्र हैं इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 17.05.1990 मौजा पाबूसरिया तहसील रामसर को स्वीकार करने में भारी विधिक भूल की हैं अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार की जावें एवं विवादित नामान्तकरण संख्या 226 को निरस्त किया जाकर उतरदाता संख्या 4 बारम उर्फ वाहरम पुत्र हबीब का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाये जाने के आदेश पारित किये जावें। इस कारण उक्त अपीलकर्ता द्वारा अपील पेश की है।

अपीलकर्तागण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उत्तरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर उत्तरदाता संख्या 3 से 8 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह सोढ़ा द्वारा वकालतनामा व लिखित प्रकथन/बहस प्रस्तुत की गई जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उतरदाता संख्या 1 से 2 बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।

अपीलकर्ता अधिवक्ता ने अपने लिखित प्रकथन/बहस में निवेदन किया कि अपीलकर्तागण एंव उतरदातागण के कदीमी कब्जा काश्त खसरा नम्बर 108 मौजा पाबूसरिया ग्राम पंचायत कंटल का पार तहसील रामसर जिसमें सभी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हैं। अपीलकर्ता के खेत मौजा पाबूसरिया कंटल का पार व मेकरनवाला ग्राम पंचायत मेकरनवाला दोनों गांवों में आये हुए हैं। अपीलकर्ता के पिता जो मुतवफी मारूफ वल्द हाथी के औलाद थे। वक्त सेटलमेंट अपीलकर्ता के दादा मारूफ के नाम अपने अन्य भाईयों के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिनके वंशज शेष उतरदातागण हैं। मुतवफी मारूफ के चार पुत्र थे जो क्रमशः हबीब, सरादीन उर्फ सरदारा, बगता, अलदा उर्फ प्रहलाद थे परन्तु उतरदाता संख्या 4 बारम उर्फ वाहरम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा ने छल कपट पूर्वक धोखे से **सरदारा उर्फ सरादीन का पुत्र होते हुवे भी हबीब पुत्र मारूफ का पुत्र/वारीस बन कर** जमीन हड़पने के लिए छल कपट पूर्वक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 226 मौजा पाबूसरिया अपने नाम करवा लिया। हबीब की पत्नी सायबी थी अनपढ़ ग्रामीण महिला थी जो लाऔलाद फौत हुई। उपरोक्त नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलकर्ता को नहीं होने पर बारम उर्फ वारहम का लालच और बढ़ गया और उसने गांव मौजा मेकरनवाला की जमीन हड़पने के लिए भी हबीब की पत्नी सायबी की फौतग पर उसका फर्जी रूप से पुत्र बनकर अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच मेकरनवाला से साजिस कर सायबी के फौतगी पर उसका वंशज बन वाहरम उर्फ बारम पुत्र हबीब बन वारीस बन फौतगी का नामान्तरकरण 460 मेकरनवाला का भी अपने नाम पारित करवा दिया जबकि हबीब वाहरम उर्फ बारम रिस्ते में ताउ तथा सायबी ताई लगती थी। उक्त बारम उर्फ वाहरम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा उतरदाता संख्या 4 व वारहम उर्फ बारम फर्जी पुत्र हबीब उतरदाता संख्या 4 एक ही व्यक्ति हैं। वारहम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा ने फर्जी तरीके से सायबी व हबीब का पुत्र उतरदाता संख्या 4 के रूप में बनकर नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 17.05.1990 मौजा पाबूसरिया के अवैध रूप से पारित करा मु. सायबी पत्नी हबीब की सम्पूर्ण हिस्सा की खातेदारी भूमि अपने नाम करा ली। जबकि **वाहरम पुत्र सरादीन जो वाहरम खान उर्फ बारम पुत्र हबीब (फर्जी पुत्र बना) एक ही आदमी है।** उतरदाता संख्या 4 बारम ने अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 8 जो सभी मुतवफी मारूफ के जाईन्दा वंशज एवं उतराधिकारी हैं उन्हे अपने हक से महरूम रखने के लिए छल, कपट, धोखे से जालसाजी कर फर्जी तरीके से हबीब का पुत्र बना, जबकि हबीब लाऔलाद फौत हुवे क्योंकि उनकी पत्नी सायबी के कोई पुत्र नहीं था। बारम उर्फ वाहरम वास्तविक रूप से यह सरादीन उर्फ सरदारा का पुत्र हैं इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 17.05.1990 मौजा पाबूसरिया तहसील रामसर को स्वीकार करने में भारी विधिक भूल की हैं अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार की जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]त नामान्तकरण संख्या 226 को निरस्त किया जाकर उतरदाता संख्या 4 बारम उर्फ [illegible] पुत्र हबीब का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाये जाने के आदेश पारित किये जावें। साथ ही [illegible]ल के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत मान सिंह व अन्य बनाम रूपाराम आर.आर.डी. 1995, [illegible]जस्थान औघोगिक एण्ड खनिज विकास निगम जोधपूर व अन्य बनाम शिवा राम व अन्य आर. आर.डी. 14.12.2008 पेश किये।

इसके विपरीत उतरदाता संख्या 3 से 8 के अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित प्रकथन/बहस में निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 226 के विरूद्व अपील करीब 35 वर्षो के उपरान्त प्रस्तुत की हैं जबकि नामान्तरकरण की अपील की अवधि एक माह होती है जिसके अन्दर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए किन्तु उक्त अपील करीब 35 वर्षो के उपरांत प्रस्तुत की गई जो म्याद बाहर होने से अपील चलने योग्य नहीं हैं ओर अपीलकर्ता ने मौजा पाबूसरिया ग्राम पंचायत कंटल का पार, तहसील रामसर के खेत खसरा नम्बर 108 के संबंध में आलोच्य सायबा के फोत होने के कारण विधिक वारिशान के रूप में आलोच्य नामांतरकरण संख्या 226 स्वीकृत दिनांक 17.05.1990 को पारित होने के उपरांत करीब 35 वर्ष व्यतित हो चुके हैं कि आलोच्य नामांतरकरण पारित किया गया तत्समय उक्त आलोच्य नामांतरकरण सहमति से पारित किया गया किंतु बाद में अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 मे मध्य मामूली बोलचाल होने के चलते उक्त प्रकरण में अपीलकर्ता ने उतरदाता संख्या 2 को धमकी देते हुए तंग व परेशान करने के दुराश्य से ग्रस्ति होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं जो म्याद बाहर होने से काबिल खारीज हैं ओर आलोच्य प्रकरण में हबीब के देहांत उपरांत हबीब की पत्नी सायबा जो पूर्णत्या स्वस्थचित हाल में थी कि सायबी ने बारम की सेवा चाकरी से पूर्णतया खुश होकर सायबी बारम को अपना पुत्र मानती थी जिसके चलते हबीब के हक हिस्से की संपूर्ण भूमि के संबंध में फोतगी नामान्तरकरण के जरिये स्वंय सायबी ने अपना व बारम का नाम खातेदार संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाया। तत्समय अपीलकर्ता व सभी परिवारजनों की सहमति से आलोच्य फोतगी नामांतरकरण में बारम का नाम दर्ज किया गया था यदि तत्समय सायबी ने ही आलोच्य नामांतरकरण दर्ज करवाया। जिसमें सायबी को तत्समय को कोई आपति होती तो वह विधिक चाराजोही अवश्य करती किंतु सायबी के पति हबीब के देहांत उपरांत करीबन 33 वर्षो तक सायबी की बारम सेवा चाकरी करते रहा। इस अवधि में भी सायबी ने कोई आपति नहीं की जिससे प्रमाणित होता हैं कि सायबी ने अपने जीवन काल में बारम को अपना पुत्र मान लिया तथा अपना पुत्र होने के नाते ही सायबी स्वंय ने ही बारम का नाम अपने साथ राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप दर्ज करवाया था जिसके 33 वर्षो के बाद सायबी का वर्ष 2023 में इंतकाल हो गया जिस पर बारम का नाम पहले से ही रेकर्ड पर था तथा हबीब के देहांत पर उसका नाम 1/2 हिस्से के रूप में था किंतु 2023 में सायबी का देहां होने पर बारम का नाम एकल खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में फोतगी नामांतरकरण के दर्ज किया जिस संबंध में आपति करने का अपीलकर्ता को कोई वैध ही अधिकार नहीं बनता। किंतु इसके उपरांत भी अपीलकर्ता ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बारम क वैध वादग्रस्त भूमि को हडप करने सहित बारम को तंग व परेशान करने के दुराश्य से ग्रस्ति होकर 35 वर्षो के बाद उक्त आलोच्य नामांतरकरण के विरूद्व अपील पेश की गई हैं जो असाधारण विलम्ब के बाद पेश की गई हैं जो म्याद के बिन्दु पर निरस्त की जावें। लिखित प्रकथन/बहस के समर्थन में न्यायिक [illegible] शिवम्मा बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड सुप्रिम कोर्ट 2025, स्टेट ऑफ उतर प्रदेश बनाम सुशिल कुमार व अ[illegible] उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय दिनांक 06.04.1994 अ[illegible] मोहम्मद कलीम व अन्य का पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें सर्वप्रथम धारा 05 परिसीमा अधि[illegible] के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रकथन/बहस व संलग्न

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टांतों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन हम इस निष्कर्ष पर कि किसी भी कानूनी रूप से गलत निर्णय की अपील अथवा रिवीजन करने की प्राकृतिक के आधार पर कोई म्याद नहीं होती हैं लिहाजा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर म्याद के बिंदू को सुरक्षित रखते हुए अपील को अंदर म्याद सुमार किया जाता हैं। अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 8 मुतवफी मारूफ के वंशज एवं उतराधिकारी हैं मुतवफी मारूफ का पुत्र हबीब लाऔलाद फौत हुआ हैं लाऔलाद फौत होने से अपीलाधीन आराजी खेत खसरा नम्बर 108 मौजा पाबूसरिया, ग्राम पंचायत कंटल का पार, तहसील रामसर में हबीब के विधिक हक हिस्से की भूमि में उतरदाता संख्या 4 के साथ साथ अपीलकर्तागण एवं अन्य उतरदातागण का भी विधिनुसार हक हिस्सा होने की पुष्टि होती हैं लिहाजा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 226 दिनांक 17.05.1990 को ग्राम पंचायत कंटल का पार द्वारा पारित करने में विधि के सारभूत तथ्यों की भारी विधिक भूल की हैं अतः ग्राम पंचायत कंटल का पार द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 226 दिनांक 17.05.1990 को अपास्त किये जाने में कोई आपति प्रतित नहीं होती हैं।

लिहाजा अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कंटल का पार द्वारा पारित अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 226 दिनांक 17.05.1990 को अपास्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार रामसर को प्रकरण पुनः प्रेषित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत सही नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/12/2025

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक :- 17/12/25

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला

क्रमांक :-रीडर/2026/ 1122-24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर
2. अपीलकर्ता अमीर वगैरा
3. समस्त उतरादातागण।

17/12/2025

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner